

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी

(आई0ए0एस0)

मिशन निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,

उ0प्र0।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-ए0बी0डी0एम0यू0पी0 / 2024-25 / 438

दिनांक 20 .02.2025

विषय:- आर0सी0एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत यू-विन (U-Win) पोर्टल पर गर्भवती माता एवं बच्चों के टीकाकरण का पंजीकरण प्राथमिकता पर आभा आधारित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM, 31ST MAY 2021 & कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, के पत्र संख्या-2248 / पी0एस0(चि0स्वा) / 2024, दिनांक-05.12.2024 के क्रम में "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन"(ए0बी0डी0एम0) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है। भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिकों का आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा) का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है और आधार की तरह पूरे भारत वर्ष में यूनीक होगा।

जैसा कि आप अवगत ही है कि आर0सी0एच0 कार्यक्रम में यू-विन (U-Win) पोर्टल के आधार में गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त पोर्टल पर भारत सरकार के मंशानुरूप प्राथमिकता पर आभा आधारित पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अपेक्षा है कि सम्बन्धित प्राथमिकता पर आभा आधारित पंजीकरण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि यू-विन (U-Win) पोर्टल एवं बाल पोषण ट्रैकर में ही बाल आभा बनाने की सुविधा उपलब्ध है। नवजात के टीकाकरण से पूर्व बाल आभा बनाये जाने के पश्चात ही टीकाकरण के अभिलेख अद्यतन किया जाना उचित होगा। यदि समस्त नवजात का आभा जन्म के प्रथम टीकाकरण के साथ ही बना दिया जाए तो उसके जीवनपर्यन्त अभिलेख उसके आभा से जुड़े रहेंगे तथा जिसे भविष्य में आवश्यकतानुरूप लाभार्थी उसका प्राप्त कर सकेगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त गतिविधियाँ सम्पादित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीया



(रितु माहेश्वरी)

(आई0ए0एस0)

मिशन निदेशक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।

पत्रांक:-ए0बी0डी0एम0यू0पी0 / 2024-25 /

तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

(डा0 मोहित सिंह)

संयुक्त निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ0प्र0।

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,

उ०प्र०।

सेवा में,

महानिदेशक,

परिवार कल्याण महानिदेशालय,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—ए०बी०डी०एम०यू०पी० / 2024-25 /

दिनांक 20.02.2025

विषय:— आर०सी०एच० कार्यक्रम के अन्तर्गत यू-विन (U-Win) पोर्टल पर गर्भवती माता एवं बच्चों के टीकाकरण का पंजीकरण प्राथमिकता पर आभा आधारित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शासनादेश संख्या—D.O. No. S-12019/128/2021-NDHM, 31ST MAY 2021 & कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, के पत्र संख्या—2248/पी०एस०(चि०स्वा)/2024, दिनांक—05.12.2024 के क्रम में "आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन" (ए०बी०डी०एम०) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है। भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिकों का आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउन्ट (आभा) का निर्माण किया जा रहा है जो कि एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है और आधार की तरह पूरे भारत वर्ष में यूनीक होगा।

जैसा कि आप अवगत ही है कि आर०सी०एच० कार्यक्रम में यू-विन (U-Win) पोर्टल के आधार में गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है, परन्तु अत्यन्त खेद का विषय है कि उक्त पोर्टल पर भारत सरकार के मंशानुरूप प्राथमिकता पर आभा आधारित पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। अतः आपसे अपेक्षा है कि सम्बन्धित प्राथमिकता पर आभा आधारित पंजीकरण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि यू-विन (U-Win) पोर्टल एवं बाल पोषण ट्रैकर में ही बाल आभा बनाने की सुविधा उपलब्ध है। नवजात के टीकाकरण से पूर्व बाल आभा बनाये जाने के पश्चात ही टीकाकरण के अभिलेख अद्यतन किया जाना उचित होगा। यदि समस्त नवजात का आभा जन्म के प्रथम टीकाकरण के साथ ही बना दिया जाए तो उसके जीवनपर्यन्त अभिलेख उसके आभा से जुड़े रहेंगे तथा जिसे भविष्य में आवश्यकतानुरूप लाभार्थी उसका प्राप्त कर सकेगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त गतिविधियाँ सम्पादित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीया

(रितु माहेश्वरी)

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।

पत्रांक:—ए०बी०डी०एम०यू०पी० / 2024-25 / 439-42 तददिनांक—

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
4. गार्ड फाइल।

(डा० मोहित सिंह)

संयुक्त निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।